संख्या– 368 /VI-I/2006–10(12)2008

प्रेषक,

सुवर्द्धन
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग

देहरादून दिनांक : 18 सितम्बर, ~~अगस्त~~, 2008

विषय :–बाल रंग कार्यशाला आयोजन हेतु आर्थिक सहायता विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–533/स.नि.उ./दो–4/2008–9 दिनांक–19 जून, 2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनाम सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था ग्राम जाजरदेवल पो0 एवं पिथौरागढ़ द्वारा दिनांक 15–6–2008 से 15–7–2008 तक एक माह की कार्यशाला का आयोजन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या– 208/VI-I/2008–2(27)/2007 दिनांक 8 मई, 2008 द्वारा आपके निर्वतन में रखी गयी धनराशि रू0 25.00 लाख (पच्चीस लाख) से रू0 75,000–00 (रू0 पिच्चतर हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित मदों में व्यय किये जाने हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0सं0	मदवार ब्यौरा	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	कार्यशाला निदेशक का मानदेय	15,000–00
2	आवास व्यय	18,000–00
3	कार्याशाला सहायक का मानदेय	05,000–00
4	नाटक लेखक का मानदेय	01,000–00
5	रंगकर्मियों के चाय–नाश्ते का व्यय	15,000–00
6	रंगकर्मियों का यात्रा व्यय(शैक्षणिक भ्रमण)	10,000–00
7	स्टेशनरी	03,000–00
8	प्रशिक्षण सामग्री	01,000–00
9	मंच निर्माण	02,000–00
10	वेशभूषा एवं मेकअप	02,000–00
11	ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था	02,000–00
12	प्रचार एवं प्रसार	01,000–00
	कुल व्यय	75,000–00

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य

रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4. धनराशि का आहरण बजट एवं परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

5. इस संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यो/प्रोजेक्ट की हार्ड व साफ्ट प्रतिया जैसा लागू है, में पांच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायें।

6. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट)नियमावली, 2008 की सुसंगत शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. उक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को अवश उपलब्ध करा दिया जाये।

8. संस्था को उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि संस्था इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करेगी।

9. वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2205 कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–08 रंग मण्डल स्थापना–00–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

10. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–262 (पी) /वित्त अनु0–3/2008 दिनांक–12, सितम्बर, 2008 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 368 /VI-I/2008–10(12)2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3,उत्तराखण्ड शासन/बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6– एन.आई.सी. उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
7– मीडिया सेन्टर।
8–गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(श्याम सिंह)
अनुसचिव